न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 137/2020

अन्तर्गत धारा 88, राज. काश्तकारी अधिनियम

1. हरदीप सिंह पुत्र श्री जसवीरसिंह उम्र 45 वर्ष जाति जटसिख निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. नाजम सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह उम्र 44 वर्ष जाति जटसिख निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—— वादीगण

बनाम

1. जसवीर सिंह पुत्र श्री गुरनेक सिंह } जाति जटसिख निवासीयान गांव
2. सुखजीत कौर पत्नी श्री जसवीर सिंह } मोहनपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	(वादी)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी–1व 2)
पैरोकार राज	(प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 जसवीर सिंह, वादीगण के पिताजी है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 वादीगण की माताजी है। चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 47/41 के मुरब्बा नम्बर 63 की कुल 2. 024 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 1.012 है. कृषि भूमि वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 जसवीर सिंह पुत्र गुरनेक सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं चक 10 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 91/41 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.821 है. नहरी, खाला मय बाग की कृषि भूमि में से 2018/4821 हिस्सा यानि 2.018 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जसवीर सिंह पुत्र गुरनेक सिंह के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 10 वाई के संयुक्त खाता संख्या 53/45 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 0.373 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 जसवीर सिंह पुत्र गुरनेक सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 10 वाई के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

संयुक्त खाता संख्या 33/41 के मुरब्बा नम्बर 11 व 21 की कुल 1.493 है. कृषि भूमि में से 128/1493 हिस्सा यानि 0.128 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 जसवीर सिंह पुत्र गुरनेक सिंह के नाम से दर्ज कागजात राज है। चक 9 वाई के खाता संख्या 47/41 चक 10 वाई के खाता संख्या 91/41, 53/45 व खाता संख्या 33/41 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के पिताजी जसवीर सिंह के नाम दर्ज चक 10 वाई के मुरब्बा नम्बर 11 की 2.018 है. कृषि भूमि वादीगण के दादाजी गुरनेक सिंह पुत्र नन्द सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए बंटवारा नामान्तरण संख्या 272 दिनांक 01/10/2003 के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है तथा इसी चक 10 वाई के मुरब्बा नम्बर 11, 21 की 0.128 है कृषि भूमि वादीगण के दादाजी गुरनेक सिंह के भाई जोगेन्द्र सिंह के स्वर्गवास होने के बाद विरास्त नामान्तरण संख्या 621 दिनांक 07/05/2018 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई । चक 9 वाई में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि विरास्त में प्राप्त हुई है तथा चक 10 वाई की कुछ कृषि भूमि विरास्त में प्राप्त हुई कृषि भूमि की आय से खरीद की गई है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि विरास्तन कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 10 वाई के बंटवारा नामान्तरण संख्या 272 दिनांक 01/10/2003 एवं विरास्तन नामान्तरण संख्या 621 दिनांक 07/05/2018 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के एक दो पुत्र (हरदीप सिंह व नाजम सिंह {वादीगण}) है तथा इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :—

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
हरदीप सिंह, नाजम सिंह पिसरान जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासीयान ग्राम मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ब:हिस्सा बराबर बराबर	चक 10 वाई के संयुक्त खाता संख्या 91/41 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.821 है. नहरी, खाला मय बाग की कृषि भूमि में से 2018/4821 हिस्सा यानि 2.018 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक
जसवीर सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 47/41 के मुरब्बा नम्बर 63 की कुल 2.024 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 1.012 है. कृषि भूमि चक 10 वाई के संयुक्त खाता संख्या 53/45 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 0.373 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि चक 10 वाई के संयुक्त खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

	33/41 के मुरब्बा नम्बर 11 व 21 की कुल 1.493 है. कृषि भूमि में से 128/1493 हिस्सा यानि 0.128 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 26/09/2020 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क किया तो उन द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद पत्र पेश कर विभाजन घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 उक्त विभाजन में सहमत है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होने के कारण औपचारिक पक्षकार है।

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

(क). कि चक 10 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 91/41 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.821 है. नहरी, खाला मय बाग की कृषि भूमि में से जसवीर सिंह पुत्र गुरेनक सिंह के नाम दर्ज 2018/4821 हिस्सा यानि 2.018 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादीगण की घोषित की जावे।

(ख). उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग-अलग लगान कायम किया जावे।

(ग). वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ). कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 14.01.2021 को आपसी सहमति के आधार पर ईकबाल जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित तथ्यानुसार जवाब

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर, चक 10 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 91/41 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.821 है. नहरी, खाला मय बाग की कृषि भूमि में से जसवीर सिंह पुत्र गुरेनक सिंह के नाम दर्ज 2018/4821 हिस्सा यानि 2.018 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को वादीगण हरदीप सिंह, नाजम सिंह पिसरान जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासीयान ग्राम मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की एवं चक 10 वाई के संयुक्त खाता संख्या 53/45 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 0.373 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि एवं चक 10 वाई के संयुक्त खाता संख्या 33/41 के मुरब्बा नम्बर 11 व 21 की कुल 1.493 है. कृषि भूमि में से 128/1493 हिस्सा यानि 0.128 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक मन उत्तरदाता की धर्मपत्नी सुखजीत कौर पत्नी श्री जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 10 वाई, पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र कालियां खाता संख्या 91/41, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 10 वाई, पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र कालियां खाता संख्या 53/45, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 10 वाई, पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र कालियां खाता संख्या 33/41 की प्रति पेश की। वादीगण द्वारा विरासतन इंतकाल के साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी ग्राम 10 वाई, पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 272/20, जमाबंदी ग्राम 10 वाई, पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 621/41, जमाबंदी ग्राम 10 वाई, पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 625/41 की प्रमाणित प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

–:: आदेश ::–

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादीगण को चक 10 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 91/41 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.821 है. नहरी, खाला मय बाग की कृषि भूमि में से जसवीर सिंह पुत्र गुरेनक सिंह के नाम दर्ज 2018/4821 हिस्सा यानि 2.018 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है एवं चक 10 वाई के संयुक्त खाता संख्या 53/45 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 0.373 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि एवं चक 10 वाई के संयुक्त खाता संख्या 33/41 के मुरब्बा नम्बर 11 व 21 की कुल 1.493 है. कृषि भूमि में से 128/1493 हिस्सा यानि 0.128 है. कृषि भूमि का जमाबन्दी मुताबिक प्रतियादी संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.02.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.02.21

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner